

कक्षा- बी० ए० चतुर्थ सेमेस्टर (हिंदी)

‘अनुवाद: अवधारणा, परंपरा और सरोकार’

डॉ० अमित कुमार (असिस्टेंट प्रोफेसर)

हिंदी विभाग, हरिश्चंद्र पी० जी० कॉलेज, वाराणसी।

अनुवाद की अवधारणा -

अनुवाद की मूल अवधारणा श्रोत भाषा के केंद्रीय भाव की रक्षा करते हुए उसे लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करना है। अनुवाद मूलतः एक कला है। अनुवाद सांस्कृतिक संचरण में सेतु का कार्य करता है। अनुवाद की परंपरा का इतिहास मनुष्य की भाषा के विकास से गहरे अर्थों में सम्बद्ध है। संभवतः वस्तु विनिमय और व्यापार के लिए आरंभिक दुभाषियों का जन्म हुआ। तत्पश्चात् ऋषि-मुनियों द्वारा अपने शिष्यों को कठिन पाठ को संप्रेषित करने के लिए शुरुआती अनुवाद की परंपरा का व्याख्या, अन्वय, भाष्य, पुनर्कथन आदि से सूत्रपात हुआ होगा। अनुवाद के सरोकार बहुआयामी हैं जिनमें ज्ञान का हस्तांतरण, सांस्कृतिक भौगोलिक खाई को

कम करना, भाषा की समृद्धि, वाणिज्य, व्यापार आदि शामिल हैं। इस शोध आलेख के माध्यम से मूलतः अनुवाद की अवधारणा, परंपरा और उसके बहुआयामी सरोकारों को समझने में मदद मिलेगी।

भारत में अनुवाद की परंपरा और सरोकार -

अनुवाद दो भाषाओं के बीच परस्पर चलने वाली गतिविधि है। ये दो भाषाएं हैं श्रोत भाषा (मूल कृति की भाषा) एवं लक्ष्य भाषा (अनुदित कृति की भाषा)। इसलिए “अनुवाद करते समय दो भाषाओं का ज्ञान होना अनिवार्य है तथा अनुवाद ठीक वैसी प्रक्रिया है जैसे एक बोतल से इत्र को दूसरी बोतल में पलटना, जिस प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ इत्र उड़ ही जाता है।” कहना ना होगा कि मानव सभ्यता के सतत प्रवाह के लिए अनुवाद एक अनिवार्य प्रक्रिया है। “अनुवाद का सामान्य अर्थ हुआ- एक भाषा के पाठ में निबद्ध ‘अर्थ’ को, (जो कोई विचार, अनुभूति या तथ्यात्मक सूचना में से जो कुछ भी हो सकता है)

एक भाषा की सीमा पारकर दूसरी भाषा में स्थानांतरित करना। मुख्य बात है 'अर्थ', 'कथ्य' या आशय। इसलिए किसी अनूदित रचना की इकाई शब्द, वाक्य, पदबंध न होकर समूचा पाठ होता है क्योंकि 'अर्थ' किसी एक शब्द, एक वाक्य या विशेष पदबंध में सीमित न रहकर 'पाठ' की पूरी बनावट के बीच समग्रता में उभरता है।" अतः हम कह सकते हैं कि अनुवाद एक तरह का दो रचनाकारों के मध्य सहयोगी कार्य है। "अनुवाद में केवल भाषाएं ही सक्रिय भूमिका में नहीं होतीं अर्थात् यह केवल एक भाषाई गतिविधि नहीं है अपितु इसमें दो संस्कृतियों में भी परस्पर आदान-प्रदान होता है।"

उल्लेखनीय है कि अनुवाद के द्वारा ही विभिन्न भाषा-समाज के विचारों का आपस में आदान-प्रदान होता रहा है। कई बार मूल रचना की अनुपलब्धता में अनुवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सब के होते हुए भी "चिंतकों का एक वर्ग यह मानता है कि

अनुवाद हो ही नहीं सकता। जिसे हम अनूदित रचना कहते और समझते हैं, वास्तव में दूसरी या नयी रचना ही होती है। अनुवाद कर्म के बारे में एक दूसरी धारणा यह है कि यह दोगुना दर्जे का काम है क्योंकि यह मौलिक लेखन नहीं होता” अतः हम कह सकते हैं कि अनुवाद एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें अनुवादक को मूल और अनूदित पाठ के अंतराल को भरसक कम करने का प्रयास करते रहना चाहिए। यह सच है कि अनुवाद में संशोधन की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है।

वस्तुतः भारतीय ज्ञान परंपरा में अनुवाद शब्द उन्नीसवीं सदी के पश्चात् प्रयुक्त होता है। हालांकि इसके पहले भारत में अनुवाद विभिन्न रूपों प्रचलित रहा है मसलन, भाष्य, टीका, पुनर्कथन, अनुकथन आदि। लेकिन व्यवस्थित तौर पर हमें भारतीय अनुवाद परंपरा को समझने हेतु प्राचीन काल से

लेकर आधुनिक तकनीकी युग तक की यात्रा करना समीचीन होगा।

अनुवाद के मूल सरोकार बहुआयामी हैं। वस्तुतः अनुवाद एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति के बीच पुल का काम करता है तो दूसरी ओर अनुवाद के द्वारा विभिन्न भाषा समाजों के अनुभव और चिंतन का आदान-प्रदान भी होता है। कभी - कभी अनुवाद ने मूल के नष्ट हो जाने पर मूल संस्कृति की सोंच और संस्कार को सुरक्षित रखने में महती भूमिका भी निभाई है।

समग्रतः वर्तमान तकनीकी दौर में अनुवाद कार्य को नये सिरे से देखने की आवश्यकता है। अनुवाद को महज कुछ साहित्यिक ग्रंथों के अनुवाद तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि भारत की सभी भाषाओं में सभी विषयों की सामग्री की उपलब्धता पर ध्यान देने की जरूरत है।

अधिक जानकारी के लिए पढ़ें -

अनुवाद अनुसृजन - ए. अरविंदाक्षन (संपादक)

अनुवाद मीमांसा - निर्मला जैन

अनुवाद सिद्धांत एवं प्रयोग - जी. गोपीनाथन